

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना  
पीठासीन अधिकारी:- जीतू कुलहरी, R.A.S.  
राजस्व वाद संख्या: 194/2021 दायर दिनांक 04.08.2021

## वादी

1. रामेश्वर पुत्र स्व0 गुदड़िया
2. श्रवण पुत्र स्व0 गुदड़िया  
जातिगण बलाई निवासीगण  
खिंचियाबासनी, तहसील-  
डीडवाना, जिला-नागौर,  
राजस्थान।

## प्रतिवादीगण

1. राजूराम पुत्र स्व0 मांगीलाल
2. रतनाराम पुत्र स्व0 मांगीलाल
3. टिकूराम पुत्र स्व0 मांगीलाल
4. भंवरी पुत्री स्व0 मांगीलाल
5. धापू पुत्री स्व0 मांगीलाल
6. अमर उर्फ विमला पुत्री स्व0 मांगीलाल
7. सोहनराम पुत्र स्व0 छोटूराम
8. बीरबल पुत्र स्व0 हजारीराम
9. राजूराम उर्फ भंवरलाल पुत्र स्व0 हजारीराम
10. लिछमणराम पुत्र स्व0 सुवटिया
11. तुलछीराम पुत्र स्व0 सुवटिया समस्त जाति  
बलाई निवासीगण खिंचियाबासनी तहसील  
डीडवाना जिला नागौर राज0।
12. मैनेजर यूको बैंक शाखा डीडवाना।
13. तहसीलदार डीडवाना।
14. उप तहसीलदार मौलासर।

## बनाम्

दावा बाबत  
घोषणा खातेदारी बंटवाड़ा, व स्थायी निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा-188, 53, 88

## उपस्थित:-

1. श्री रूपाराम महला वकील वादीगण।
2. श्री छोटूराम वकील प्रतिवादी सं0 01 ता 11

--: अंतिम निर्णय :-

दिनांक 19.12.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि वादीगण सं0 1 ता 2 व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 11 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत खसरा सं0 319 रकबा 10.03 हैक्टे0 वाकै सरहद खिंचियाबासनी पटवार क्षेत्र चौलूखां के उक्त खसरा में वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 11 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 18.02.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 1817 दिनांक 13.09.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बन्टवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बन्टवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1817 दिनांक 13.09.2022 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-




सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)


--: आदेश :-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वादीगण व प्रतिवादीगण सं० ०१ ता ११ के सयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त खेत खसरा सं० ३१९ रकबा १०.०३ हैक्टे० वाकै सरहद खिंचियाबासनी पटवार क्षेत्र चौलूखां की भूमि में घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: १८१७ दिनांक १३.०९.२०२२ में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: १८१७ दिनांक १३.०९.२०२२ निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

  
 (जीतू कुलहरी R.A.S.)  
 (सहायक कलक्टर)  
 डीडवाना

निर्णय आज दिनांक १९.१२.२०२२ को सरे इजलास सुनाया गया।

  
 (जीतू कुलहरी R.A.S.)  
 (सहायक कलक्टर)  
 डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना  
बइजलास : जीतू कुलहरी, R.A.S.  
राजस्व वाद संख्या: 194/2021 दायर दिनाँक 04.08.2021

- वादीगण**
1. रामेश्वर पुत्र स्व0 गुदड़िया
  2. श्रवण पुत्र स्व0 गुदड़िया  
जातिगण बलाई निवासीगण  
खिंचियाबासनी, तहसील-  
डीडवाना, जिला-नागौर,  
राजस्थान।

**बनाम्**

- प्रतिवादीगण**
1. राजूराम पुत्र स्व0 मांगीलाल
  2. रतनाराम पुत्र स्व0 मांगीलाल
  3. टिकूराम पुत्र स्व0 मांगीलाल
  4. भंवरी पुत्री स्व0 मांगीलाल
  5. धापू पुत्री स्व0 मांगीलाल
  6. अमर उर्फ विमला पुत्री स्व0 मांगीलाल
  7. सोहनराम पुत्र स्व0 छोटूराम
  8. बीरबल पुत्र स्व0 हजारीराम
  9. राजूराम उर्फ भंवरलाल पुत्र स्व0 हजारीराम
  10. लिछमणराम पुत्र स्व0 सुवटिया
  11. तुलछीराम पुत्र स्व0 सुवटिया समस्त जाति  
बलाई निवासीगण खिंचियाबासनी तहसील  
डीडवाना जिला नागौर राज0।
  12. मैनेजर यूको बैंक शाखा डीडवाना।
  13. तहसीलदार डीडवाना।
  14. उप तहसीलदार मौलासर।

**दावा बाबत**  
**घोषणा खातेदारी बंटवाड़ा, व स्थायी निषेधाज्ञा**  
**अन्तर्गत धारा-188, 53, 88**

दिनाँक 19.12.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री रूपाराम महला वकील वादीगण व श्री छोटूराम वकील प्रतिवादी सं0 01 ता 11 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 11 के सयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त खेत खसरा सं0 319 रकबा 10. 03 हैक्टे0 वाकै सरहद खिंचियाबासनी पटवार क्षेत्र चौलूखां की भूमि में घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1817 दिनाँक 13.09.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1817 दिनाँक 13.09.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 19.12.2022 को सरे इजलास जारी की गयी।

सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)